Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम

पूजा सेंगर* डॉ. कनिया मेड़ा**

* शोधार्थी, (लोक प्रशासन), राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्विद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन), राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्विद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध प्रत्र में, मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। राज्य में इस प्रणाली के अंतर्गत अत्यंत सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं जो कि अन्य राज्यों के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी मध्यप्रदेश द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में की जा रही पहलों की प्रशंसा की जा रही है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के माध्यम से एक मैत्रीपूर्ण और विश्वास-निर्माण दृष्टिकोण, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है।राज्य में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में 'सृजन', 'मैं हूँ अभिमन्यु', 'स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम', 'ऊर्जा डेस्क', 'विशेष किशोर पुलिस इकाई', 'शक्ति समिति संधारण', 'नागरिक सुरक्षा सर्वेक्षण', 'सहयोग कार्यक्रम' एवं 'सुरक्षित शहर परियोजना' जैसे कार्यक्रम सक्रिय रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्नांनुसार है-

परिवार परामर्श केंद्र – इस कार्यक्रम का शुभारंभ 10 अक्टूबर 1995 को किया गया। इसका उद्देश्य समाज की पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं की पीड़ा को कम करना है। इस प्रयास ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रेरित किया है, जो अब तक सकारात्मक मानवीय प्रयासों से जुड़ा नहीं था। उदाहरण स्वरूप इंदौर में परिवारों को टूटने से बचाने के लिए 9 केंद्रों की स्थापना की गई थी। ये केंद्र समाज के स्वयंसेवकों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से चलाए गये, इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, चिकित्सा पेशेवर आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में जहां कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, इस प्रयास से जुड़ी महिला वकील यह सहायता नि:शुल्क प्रदान करती हैं।

ग्राम एवं नगर रक्षा समिति – इस परियोजना को जनवरी 1996 में आरंभ किया गया। मूल रूप से बिना किसी आपराधिक रिकार्ड या ज्ञात राजनीतिक संबद्धता के उचित सोच वाले नागरिकों का एक समूह बनाने के उद्देश्य से किए गए इस प्रयास ने ऐसे आयाम हासिल कर लिए हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं गया था। ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 एवं नियम 2003 के अंतर्गत समिति सदस्यों की उम्र 20 से 45 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में कुल 36,196 समितियां गठित हैं, जिनमें 170,704 सदस्य शामिल हैं।

नगर सुरक्षा समिति द्वारा पुलिस को उसके सामान्य कर्तव्यों जैसे प्रमुख जुलूसों का प्रबंधन करने में सहायता करने के अलावा, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा यातायात प्रबंधन में सहायता आदि सहयोगपूर्ण कार्य किये जाते हैं। इन समितियों द्वारा मूल कार्यों से आगे बढ़कर अन्यप कार्य भी किये जा रहे हैं जैसे- रक्तदान/समूहन/एचआईवी परीक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों के माध्यम से त्योहारों के दौरान स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त करना तथा ग्राम सुधार के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस ने इन समितियों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता विस्तार का कार्य भी किया है। उदाहरणार्थ, शाजापुर जिले में सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य स्वैच्छिक श्रम अंशदान के माध्यम से किया गया। 16 थाना क्षेत्रों के 320 गांव मुख्य मार्गों से जुड़े। सड़क समतलीकरण, जल निकासी प्रणालियों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों के स्वैच्छिक श्रम योगदान के माध्यम से किया गया।इससे पुलिस-सामुदायिक संबंधों और समन्वय में सुधार करने में मदद मिली है। दिनांक 31-10-2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भोपाल जिले के कोलार थाने की नगर सुरक्षा समिति को उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान के लिए राष्ट्रीय एकता प्रहरी पुरस्कार व प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। समिति द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के सफल संचालन व सामाजिक सौहार्द के निर्माण में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। विभिन्न पर्वों, मूर्ति विसर्जन स्थलोंवचल समारोहों के दौरान यातायात व्य वस्थास बनाये रखने आदि प्रमुख कार्य इन समिति के सदस्यों द्वारा सम्पासदित किये जाते हैं।

स्टुडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम डायल 100 – इस योजना के अंतर्गत भोपाल एवं निकटस्थ क्षेत्रों के स्कूलों की कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों को डायल 100 कमाण्ड सेन्ट्र का भ्रमण एवं आपातकालीन पुलिस सहायता हेल्पलाईन की संपूर्ण कार्यशैली से अवगत कराया जाता है। इस दौरान स्टूडेंट्स को पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस सिस्टम और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आधारभूत जानकारी वह रैंक सिस्टम से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को थाना प्रमाण एवं साइबर क्राइम विषय पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। इस सेवा को विस्तारित करते हुए समस्त जिलों

में स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर शासकीय एवं अशासकीय स्कूल परिसरों में पहुंचकर पुलिस टीम एवं एफ0आर0ओ0 वाहन की मदद से इमरजेंसी डायल-100 हेल्पलाइन योजना को प्रसारित किया जा रहा है।

सामुदायिक पुलिस केंद्र - इस तरह का पहला केंद्र इंदौर के अपराधग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में 'रुस्तम का बगीचा' नाम से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पुलिसकर्मी स्थानीय निवासियों के घर-घर जाकर संपर्क करते हैं और लोगों की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करते हैं। इससे विशेषकर शराब, महिला शोषण एवं अन्य छोटे अपराधों में कमी देखी गई। यह प्रयोग जापान की प्रसिद्ध 'कोबन' तकनीक पर आधारित है।

जनसंवाद - यह योजना 2007 से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना स्तर पर बैठके आयोजित कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण थाना/जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है। जन संवाद के दौरान आयोजित बैठक में सभी समाज के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत कर्मचारी, अधिवक्ता, समाजसेवी आदि को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।दिनांक 03-03-2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ जन संवाद आयोजित किए गये थे जिसमें 88,129 लोग शामिल हुए थे।

समुदाय आधारित मिडिएशन योजना (सामुदायिक मध्यस्थता 'संवाद सेतु योजना')-

खाटला पंचायत- सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत खाटला बैठक के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में जन संवाद आयोजित कर वनवासी भाई-बहनों को जागरुक करते हुए स्थानीय आपराधिक शिकायतों का मौके पर ही निदान, क्षेत्रीय गुंडे-बदमाशों की पतारसी, अंधविश्वास, कुरीतियां, कुप्रथाओं से आदिवासियों को विमुक्त करना, डाकन प्रथा, दागना आदि कुप्रथाओं पर मैत्रीपूर्ण तरीके से अंकुश लगाना, मॉब लिंचिंग घटनाओं की रोकथाम व जनजागृति सफलतापूर्वक की जाती है।

तड़वी पंचायत- आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर में 'तड़वी' एक तरह से गांव का मुखिया या पटेल होता है। गांव के सामाजिक और पारिवारिक विवादों को निपटने के लिए दोनों पक्ष की मांग पर तड़वी की उपस्थिति में पंचायत आयोजित की जाती है। उक्त पंचायत में गांव के अन्य प्रमुख लोग भी शामिल रहते हैं। तड़वी पंचायत में लिए गए निर्णय को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय पुलिस अधिकारी भी तड़वी पंचायत के दौरान ग्रामवासियों के बीच उपस्थित होकर पक्षकारों को कानूनी पहलुओं से परिचित कराते हैं।

नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सामुदायिक पुलिस प्रणाली योजनाएं- जिला बालाघाट द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2023 में 'जनमैत्री अभियान' प्रारंभ किया गया है जिसके द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण करने हेतु एक माध्यम उपलब्ध कराना है।

यूथ स्पोर्ट्स क्लब योजना, लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लासेस- प्रदेश के जिलों में स्थानीय पुलिस द्वारा जिला/अनुभाग/थाना स्तरों पर युवाओं के मध्य इन्डोशर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज व प्रतियोगिताओं के आयोजन से पुलिस एवं जनता के बीच बेहतर समन्वय एवं परस्पर संबंधों द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार किया जा रहा है। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लास की स्थापना से जनहित में नवाचार के कार्य संपन्न किये जा रहे हैं।

स्टूडेंट करियर गाइडेंस प्रोगाम- पुलिस के सहयोग से सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्थानीय विद्वानों एवं प्रबुद्धजनों के मार्गदर्शन से छात्रों को उच्च शिक्षा व उनसे जुड़े विभिन्न रोजगार के अवसरों की सार्थक जानकारी उपलब्ध कराते हुए सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार प्रारंभ किया गया है।

सृजन- एक पहल शक्ति से सुरक्षा की ओर- इन पंक्तियों को चरितार्थ करता हुआ भोपाल पुलिस कमिश्नरेट का सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार जिसकी शुरुआत जून 2022 से विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं एवं पुलिस कमिश्नरेट भोपाल द्वारा की गई जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास है। इस योजना के अंतर्गत शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र एवं बस्तियों में अब तक कुल 11 सृजन कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 1500 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।प्रशिक्षण में बच्चों को 15 दिन तक मार्शल आर्ट, पी टी ,योगा सहित लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, शिक्षा आदि विषयों पर विभिन्न विशषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है।

'मैं हूँ अभिमन्यु'-महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देश पर 'मैं हूँ अभिमन्यु' अभियान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध हो रही विभिन्न अनैतिकता, असमानता एवं अत्यासचार के साथ-साथ दहेज, रुढिवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, हत्या, अशिक्षा व लिंग भेद जैसी अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं इस बुराई का साथ न देने हेतु शपथ दिलाई जा रही है।प्रथम चरण में यह अभियान 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा एवं इसके सफल क्रियान्वयन के उपरांत वर्तमान में इसके दूसरे चरण को प्रारंभ किया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम- मध्यप्रदेश पुलिस ने कॉलेज के छात्रों के लिये 'मध्य प्रदेश पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम' शुरू किया है। इसके तहत छात्रों को 1 से 3 महीने तक पुलिस के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है तथा इंटर्नशिप पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र भी दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस के लगभग सभी विभागों में इन छात्रों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को लाइव केस स्टडी का मौका मिल रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के सभी विभागों को देखने और समझने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम में छात्रों को विविध पुलिस कार्य, सायबर अपराध, डायल-100 की जानकारी, सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर की जानकारी, महिला सहायता, बाल संरक्षण एवं सामुदायिक पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान किया जाना शामिल है। इस प्रकार इंटर्नशिप से छात्रों को ना केवल पेशेवर अनुभव प्राप्त होगा बल्कि वह समाज के एक जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे, क्योंकि उन्हें नियमों के बारे में जानकारी होगी।

सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत 'स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम' के तहत भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस कॉलेज (BSSS) में दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन दिनांक 19 मई 2022 को किया गया। प्रशिक्षण सत्र में करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में महिला अपराधों

के कानूनी प्रावधानों एवं महिला उर्जा डेस्क की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत रूप से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अंतर्गत BSSS के छात्रों ने अहिंसा दिवस पर पुलिस के मार्गदर्शन में नुक्कड़ नाटक निर्मित किया, जो कि महिला अपराध, बाल अपराध, साइबर क्राइम की रोकथाम एवं यातायात नियमों के सम्बन्ध में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से BSSS के 60 छात्र की 4 टीम शहर में अलग-अलग क्षेत्रों, पब्लिक प्लेस पर 24 घंटे 100-100 नुक्कड़ नाटक पूर्ण कर रहे हैं, और जगह-जगह सुरक्षित समाज का संदेश भेज रहे हैं।

यह सामुदायिक पुलिस प्रणाली का एक अनूठा उदाहरण हैं, एक ही विषय पर आधारित 24 घंटे में 400 नुक्कड़ नाटक संपादित होने पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु भेजा जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर हिंसा मुक्त समाज के लिए युवाओं का ऐसा काम करना समाज में अवश्य बदलाव लाएगा।

शक्ति समिति एवं शक्ति कैफे- महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु भोपाल पुलिस के दो सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर कमिश्न कार्यालय और कंट्रोल रूम में शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है तथा भोपाल नगरीय क्षेत्र के 36 पुलिस थानों को चिन्हित कर शक्ति कैफे प्रारम्भी किया गया है। इनका संचालन पीड़ित महिलाओं को सौंपा गया है जिन्हेंग संगिनी संस्था के माध्यिम से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 01 लाख रूपये बैंक ऋण प्रदान किया गया है। शक्ति कैफे 24.7 संचालित किये जा रहे हैं।

उर्जा हेल्पम डेस्का- 'ऊर्जा डेस्क' के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं और लड़कियों को अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे महिला सुरक्षा बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-Pal) ने 'Urgent Relief and Just Action' 'Urja डेस्क' अवधारणा को डिजाइन किया था जिसे 2017 में राज्य में लागू किया गया था। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला द्वारा जहांगीराबाद स्थित महिला थाने में उर्जा हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया।

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की समस्याएं अब महिला पुलिस अधिकारी ही सुन रही हैं, इसके लिए प्रदेश के 12 जिलों- विदिशा, रतलाम, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, रीवा, जबलपुर, पन्ना , मुरैना एवं ग्वालियर के 180 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं ताकि महिला जैसे ही थाने में पहुंचेंगी तो उनकी तुरंत सुनवाई होगी।अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि राज्य के पुलिस स्टेशनों में स्थापित ऊर्जा डेस्क ने पीड़ित महिलाओं को पुलिस के साथ अपनी समस्याएं साझा करने के लिए पर्याप्त जगह दी है। भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय जस्टिस, इंक्लूजन एंड विक्टिम एक्सेस (जीआईवीए) कॉन्फ्रेंस में यह तथ्य सामने आया।

वर्तमान में, राज्य के लगभग 700 से अधिक पुलिस स्टेशनों में ये उर्जा डेस्क संचालित हो रही हैं।भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाये गये Victim Friendly महिला थाना को ISO की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया तथा ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला ISO 9001: 2015 सर्टिफाइड थाना बन चुका है।

विमुक्त जनजातियों का कल्याण- विमुक्त जनजातियों एवं उनके मानव अधिकारों तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक सहयोगी पुलिस व्यवस्था कायम करने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस लगातार कार्यरत हैं।मध्यप्रदेश के कुछ विशिष्ट जिलों में जिसमें गुना, देवास, अशोकनगर, राजगढ़ एवं शाजापुर शामिल हैं, के अंतर्गत निवासरत अधिसूचित समूदाय जैसे- कंजर, पारधी, सांसी, बेडिया, बाछड़ा व अन्य समुदायों की अपराध लिप्तैता को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत ऐसे समुदाय जिनके आचरण में कानून पालन से संबंधित शिकायतें सामने आती हैं, उन्हें प्रचलित कानून का पालन करने तथा एक गरिमामयी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न समुदाय केंद्रित प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में विमुक्त जनजातियों के मानव अधिकारों तथा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था विषय पर भोपाल स्थित गांधी भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के समापन समारोह में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री शुक्ला ने पीड़ित व्यक्तियों की बातें भी सुनी और यह भी बताया कि किस तरह से पुलिस इस दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है तथा और क्या-क्या करने की अपेक्षा हैं एवं पुलिस का तथा पीड़ित समुदायों का आपस में संवाद होना बहुत आवश्यक है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Protection Unit- SJPU)- राज्य में किशोर न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जिलों में विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी कल्याण पुलिस अधिकारियों को किशोर कल्याण अधिकारी नामित किया गया है। वह लापता किशोरों के संरक्षण और आपराधिक गतिविधियों में शामिल बच्चों। पर निगरानी के कार्य भी करते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को जूवेनाईल जस्टिस एक्ट, चाईल्ड वेलफेयर कमिटी एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

UNICEF ने भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित की जा रही इस पहल की सराहना की।मध्यप्रदेश पुलिस को इक्वोडोर के क्विटो शहर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित छठवें 'Safe City'Forum में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण हेतु संचालित अपनी सामुदायिक पुलिस पहल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम 28 से 30 नवंबर, 2023 तक आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई इस सराहनीय पहल को 'इमेज चतंबजपबम' के रूप में सम्मानित किया गया।

स्टूडेंट पुलिस कैडेट-स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना की निगरानी, क्रियान्वयन और निष्पादन सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में यह योजना मध्यप्रदेश के 31 जिलों के चयनित सरकारी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। प्रत्येक विद्यालय से आठवीं कक्षा के 20 छात्रों के एक बैच को इस योजना के अंतर्गत नामांकित किया जाता है। वर्तमान में यह योजना मध्यप्रदेश के सभी जिलों में सफलतापूर्वक लागू है। इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार इन्डोर और आउटडोर कक्षाएं सी.पी.ओ(कैडेट पुलिस ऑफिसर) और ए.सी.पी.ओ.(असिस्टेंट कैडेट पुलिस ऑफिसर) द्वारा ली जाएगी। सरकारी विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला समितियों का गठन किया गया है।

वर्तमान में कुल 556 विद्यालयों में सफलतापूर्वक इन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विद्यालयों को आवश्यक बजट प्रदान किया गया है और 18222 छात्रों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना में सम्मिलित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक सहायता(आलंबन योजना)– माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की घोषणा क्रमांक 2278 दिनांक 11-04-2012 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्रों में निवासरत अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र- एफ 21-04/2014/ दो-ए(3) भोपाल दिनांक 27-05-2014 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग जो कि वृद्धजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है, के लिए गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर से समन्वय अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को नामांकित किया गया है।

पुलिस मुख्यालय से समस्तय जिलों को निर्देश जारी कर अधीनस्थ क्षेत्रों में एवं संचालित स्वैच्छिक/शासकीय सहायता प्राप्त एन.जी.ओ. संस्थाओं में निवासरत वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्षो से अधिक है, की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लेख किया गया। समस्त पुलिस अधीक्षकों को जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में वृद्धजानों की सहायता एवं शिकायतों की सूचना प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन, फोन नंबर, फैक्स, एस.एम.एस. अथवा ई-मेल स्थापित कर सरकारी एवं गैर सरकारी वृद्ध आश्रमों में निवासरत वरिष्ठी नागरिकों की कुल संख्या (जिसमें महिला एवं पुरुष की पृथक-पृथक संख्या) तथा उनके नाम, फोन नंबर, एवं पता आदि विवरण का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत संचालित उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा एक प्रतिपुष्टि तंत्र भी विकसित किया गया है जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए 'कैसी है आपकी पुलिस' पहल के माध्यम से निरंतर सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के सुचारू क्रियान्व यन के कारण ही 2023 में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है जो पुलिस की रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

निष्कर्ष– उपरोक्त तथ्य एवं वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाये गये कदमों की प्रशंसा इस प्रणाली के सफल संचालन को दर्शाता है तथा पुलिस व जनता के मध्य अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण स्थालपित करता है।सामुदायिक पुलिस प्रणाली हेतु मध्यप्रदेश संपूर्ण देश के लिये प्रेरणा स्त्रोत है।संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में किये गये कार्यो की प्रशंसा की गई है तथा मध्यप्रदेश द्वारा उठाये गये कदमों का अन्य देशों को भी अनुसरण करना चाहिये। विशेष तौर पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक एवं साम्प्रकदायिक सोहार्द के मुद्दों को सामुदायिक पुलिस की सहायता से बड़ी ही सरलतापूर्वक हल किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार
2. https://kolar18.com/kolar-nagar-sewa-samiti/
3. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0VoPmw95b3U6mhT5nvkmXRsXZoPZXMyup8WEikhzvBvTf2H7McknQQntvQt8Av1wsl? locale=hi_IN
4. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0ap7QPspkCggVPGdrmFCaq6JnuTbyz68aZz3UrEZjcD9DRtYf8GqH47sAkNH82Ztdl?locale=hi_IN
5. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0eh5oY8wNokb8rysCP6diXLyG6swHZdpbDvURZsmMuDbRNnLRckKrkwp5awacP2xjl?locale=hi_IN
6. hhttps://www.aninews.in/news/business/business/madhya-pradesh-polices-community-police-initiatives-get-praised-at-un-safe-cities-forum20231205164146/
7. hhttps://www.aninews.in/news/business/business/madhya-pradesh-polices-community-police-initiatives-get-praised-at-un-safe-cities-forum20231205164146/
8. Kapoor, V.; Flavin, W.; Ochs, P.; Matyók, T.; Fahim, E. Community Policing Solutions for Religion-on-Religion Conflict: Lessons from an Indian Case Study. *World* 2022,*3*,840–857. https://doi.org/10.3390/world3040047

****